

रैगिंग / उत्पीड़न मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र/छात्राओं को ऐतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि यह विश्वविद्यालय नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं की रैगिंग/उत्पीड़न से पूर्णतया मुक्त है।

किसी भी नये छात्र के साथ वरिष्ठ छात्रों द्वारा की गयी अभद्रता एक अक्षम्य अपराध है। पकड़े जाने पर गम्भीर दण्ड जिसमें छात्रावास निष्कासन, विश्वविद्यालय से निलम्बन, पंजीकरण का निरस्तीकरण तथा विश्वविद्यालय से निष्कासित करने के साथ पुलिस कार्यवाही कर 06 माह की जेल तथा ₹ 10,000/- का अर्थ दण्ड निरूपित करने का प्राविधान है। उ०प्र० शासन ने आदेश निर्गत किया है कि रैगिंग करने वाले छात्र के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराकर कार्यवाही की जाय।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं महामहिम राज्यपाल से तत्सम्बन्धी निर्देश प्राप्त हुये हैं। तदानुसार विश्वविद्यालय द्वारा गठित “एण्टी रैगिंग कमेटी” इस पर अपनी निगरानी निरन्तर रख रही है।

अतः वरिष्ठ छात्रों के लिये वैधानिक सलाह दी जाती है कि वे उक्त किसी भी कार्यवाही से अपने को दूर रखें, स्वयं सुरक्षित रहें तथा विश्वविद्यालय को ‘रैगिंग मुक्त विश्वविद्यालय’ के रूप में प्राप्त गरिमा को बनाये रखने में सहयोग करें।

कुलपति

सम्पर्क सूत्र:

1. डा० कृपा शंकर, कुलसचिव	: 9415492158
2. डा० डी० आर० सिंह, अधिष्ठाता, छात्र कल्याण	: 9450340135
3. डा० पूनम सिंह, अधिष्ठाता, कृषि संकाय/चीफ वार्डन	: 8756320061
4. डा० जे०पी० यादव, अधिष्ठाता, डा० वी० आर० अम्बेडकर कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, इटावा	: 9411241616
5. डा० वेदरतन, अधिष्ठाता, गृह विज्ञान संकाय/चीफ वार्डन	: 9839567727
6. डा० आर०के० यादव, अधिष्ठाता, कृषि/चीफ वार्डन, लखीमपुर खीरी	: 9451153756
7. डा० नौशाद खान, सह-अधिष्ठाता, छात्र कल्याण	: 7905577366
8. डा० कौशल कुमार, सह-अधिष्ठाता, छात्र कल्याण	: 9450159644

Shriya
८.७.२१९